# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

**(प्रथम सूचना रिपोर्ट )**
**अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.**

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0070 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/03/2026 14:22 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 3 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 12/03/2026

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:34 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/03/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/03/2026 14:22:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARAYALAY ADHIKSHAN ABHIYANTA, AVVNL BYAVRI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KAMLESH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PUSARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | DHANERIYA LEEL, RIYANBARI, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | DHANERIYA LEEL, RIYANBARI, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANUMAN SAHAY MEENA | | पिता:SHANKAR LAL MEENA | 1. BEERASANA,ANDHI,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | GANESH KCHCHHAWA | | पिता:SANWARA | 1. 12 MEEL,SARANA,AJMER,RAJAST |
| 3 | HEMRAJ KHATIK | | पिता:KAILASH CHAND | 1. ANTALI,SHAMBHUGARH,BHIL |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 60,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 60,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, ए.सी.बी., इन्टेलिजेंस, अजमेर। विषय- ट्रेप कार्यवाही करवाने बबात्। महोदया, निवेदन है कि मैं प्रार्थी कमलेश ग्राम धनेरिया लील तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर का निवासी हूं । मैने व मोहन जी निवासी बुन्दी ने वाणिज्यिक खेती के लिए फर्म पपीतावाला एग्रो एलएलपी उदयपुर रजिस्टर्ड करवायी है। इस फर्म के कार्य हेतु हमने ग्राम जवानपुरा तहसील अंटाली जिला भीलवाड़ा मे श्री हरिशंकर पुत्र श्री मांगीलाल ग्राम जवानपुरा तहसील अंटाली जिला भीलवाड़ा की खसरा संख्या 194 की जमीन लीज पर लेना तय किया तथा लीज डीड रजिस्ट्रेशन हेतु तहसील अंटाली जिला भीलवाड़ा की पंजीयन शाखा मे सम्पर्क किया तो श्री हनुमान पंजीयन बाबू ने तहसील के बाहर स्थित ई-मित्र संचालक हेमराज साहू को बुलाकर मुझ को कहा कि आप इनके साथ चले जाओ और ऑन लाईन आवेदन करवा दो। इसके बाद हेमराज साहू ई-मित्र संचालक मुझे अपनी दुकान साहू कम्प्यूटर्स पर लेकर गया। हेमराज साहू ने मुझे तहसीलदार साहब के लिए प्रति बीघा 10000 रूपये के हिसाब से कुल 4 बीघा के 40000 रूपये एवं एक ए.सी. तथा हनुमानजी के लिए 10000 रूपये के लिए बोला और कहा कि आप तहसीलदार साहब गणेश कच्छावा से मिलकर आवेदन कर दो आपको काम जल्दी हो जायेगा। मैं इनको रिश्वत नही देना चाहता हूं इनको ट्रेप करवाना चाहता हूं। कार्यावाही पुलिस कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे0 अजमेर दिनांक 06.03.2026 समय-03.00 पीएम इस समय परिवादी श्री कमलेश पुत्र पुसाराम उम्र 24 वर्ष निवासी धनेरिया लील तहसील रियांबड़ी जिला नागौर मोबाईल नम्बर ने उपस्थित कार्यालय हाजा होकर उप अधीक्षक पुलिस, ए.सी.बी., इन्टेलिजेंस, अजमेर के नाम एक लिखित प्रार्थना पत्र मय ग्राम जवानपुरा के खसरा नक्शा एवं जमाबंदी, स्वयं का आधार कार्ड एवं फर्म पपीता वाला एग्रो एलएलपी से संबन्धित दस्तावेजो की स्वयं प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया। मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी से दरियाफ्त की तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया। प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने बताया कि उसने व उसके मित्र श्री मोहन लाल पुत्र श्रवण लाल निवासी वार्ड नं. 12, डाबी बुन्दी ने पार्टनरशीप में फर्म पपीता वाला एग्रो एलएलपी वाणिज्यिक कृषि के लिए रजिस्टर्ड करवायी थी। जिसके लिये श्री हरिशंकर पुत्र श्री मांगीलाल ग्राम जवानपुरा तहसील अंटाली जिला भीलवाड़ा की ग्राम जवानपुरा में स्थित खसरा नं. 194 के हिस्से की जमीन लीज पर लेना तय किया तथा डीड रजिस्ट्रेशन हेतु तहसील अण्टाली की पंजीयन शाखा में सम्पर्क किया तो श्री हनुमान पंजीयन बाबू ने तहसील के बाहर स्थित ई-मित्र संचालक हेमराज साहू को बुलाकर मुझ को कहा कि आप इनके साथ चले जाओ और ऑन लाईन आवेदन करवा दो। इसके बाद हेमराज साहू ई-मित्र संचालक मुझे अपनी दुकान साहू कम्प्यूटर्स पर लेकर गया। हेमराज साहू ने मुझे तहसीलदार साहब के लिए प्रति बीघा 10000 रूपये के हिसाब से कुल 4 बीघा के 40000 रूपये, एक ए.सी. और पंजीयन बाबू हनुमानजी के लिए अलग से 10000 रूपये के लिए बोला और कहा कि आप तहसीलदार साहब से मिलकर आवेदन कर दो आपका काम जल्दी हो जायेगा। मैं इनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं, इनको ट्रेप करवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई रंजीश नही है ना ही कोई उधार लेन-देन हैं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होना पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में समझाया व श्री हुकमाराम कानि. से कार्यालय अलमारी मे से वॉयस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईस की गई। परिवादी ने बताया कि आज तो शाम हो गई है। सोमवार को मैं तहसीलदार साहब से जाकर बात कर लूगा। इस पर श्री हुकमाराम कानि. एवं परिवादी के फोन नम्बर आदान-प्रदान करवाये गये तथा आपस मे परिचय करवाया तथा परिवादी को रूखसत किया। दिनांक 09.03.2026 समय 08.00 ए.एम. पर श्री हुकमाराम कानि. को वॉयस रिकार्डर मय मेमे ारी कार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया। स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद रावत एवं श्री तारू सिंह रावत को तलब किया। समय 07.30 पी.एम. पर श्री हुकमाराम कानि0 ने जरिये दूरभाष बताया कि वॉयस रिकार्डर मे नया मेमोरी कार्ड डालकर रिकार्डर को ऑन कर परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईस कर परिवादी को रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु समय 04.17 पीएम पर रवाना किया गया। जिसने बाद सत्यापन वार्ता आकर वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसे बंद किया। परिवादी से वार्ता करवायी तो परिवादी ने बताया कि ''मैं ई-मित्र वाले से जाकर मिला तो उसने कहा साहब अलग लेगे, हनमानजी अलग लेगे मैने मेरे हिसाब से बात कर ली है। फिर वो मुझे तहसीलदार साहब के पास लेकर गया तो तहसीलदार जी को मैने कहा कि हेमराजी ने बोल रखा है ए.सी. के लिए तो तहसीलदार ने कहा लगो दो कोन

मना कर रहा हैं। फिर मैने तहसीलदार जी को कहा आपका बता दो तो उन्होने का कि सुबह बता दिया न हेमराज को ये सुबह बात करके गये थे। आपका काम नही रोकेंगे आपका काम जल्दी करवा देंगे। तहसीलदार साहब जल्दी में थे इसलिए वो रवाना हो गये। उसके बाद ई-मित्र संचालक ने मुझे कहा हनुमान जी का कर दो साहब का कल देख लेंगे। हनुमान जी की टेन मे डील हुई है। साहब ने 10 से 15 के लिए बोला रहन दस्तावेज के लिए।" परिवादी ने बताया कि आज मेरी रजिस्ट्री की कार्यवाही हो चुकी तथा मैं कल ई-मित्र संचालक के पास जाउंगा तब एक बार और तहसीलदार जी से पुनः बात कर लूंगा। इस पर श्री हुकमाराम कानि0 को कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। बाद सत्यापन श्री हुकमाराम कानि0 उपस्थित कार्यालय हाजा आया एवं वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। मन् निरीक्षक पुलिस ने वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना तो सत्यापन वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 10.03.2026 समय 10.00 ए.एम. पर श्री हुकमाराम को वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया। समय 06.00 पी.एम. पर श्री हुकमाराम कानि0 ने जरिये दूरभाष बताया कि वॉयस रिकार्डर मे नया मेमोरी कार्ड डालकर रिकार्डर को ऑन कर परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईस कर परिवादी को रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। जिसने बाद सत्यापन वार्ता वापस आकर वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसे बंद किया। श्री हुकमाराम कानि0 ने परिवादी वार्ता करवायी तो परिवादी ने बताया कि "मैं ई-मित्र वाले से जाकर मिला, फिर वो मुझे तहसीलदार साहब के पास लेकर गया तो तहसीलदार जी को मैने कहा मेरी पास मोटर साईकिल है मैं ए.सी. के पैसे दे दूंगा तो तहसीलदार साहब ने कहा विजयनगर से मंगा लेंगे तो मैने कहा वहां से सिस्टम ही बैठा तो तहसीलदार जी ने कहा मैं गुलाबपुरा से ही आता हूं। इस पर मैने कहा कि मैं ए.सी. के पैसे और रिश्वत राशि हेमराज को दे दूंगा। इस पर तहसीलदार जी ने कहा कि ऐसी तो मैं मंगवा लुगा पेमेंट इनको दे देना। मैने कहा ठीक सर। उसके बाद ई-मित्र संचालक ने रिश्वत आज ही देने के लिए दबाव बनाया तथा कहा कि हनुमान के तो दे जा उसका बार-बार फोन आ रहा है, तो मैंने कहा दे दूंगा। और वहां से आ गया।" परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 11.03.2026 को कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु तथा श्री हुकमाराम कानि0 को कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया। श्री हुकमाराम कानि0 उपस्थित कार्यालय हाजा आया एवं वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। मन् निरीक्षक पुलिस ने वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 11.03.2026 को परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित आये। परिवादी श्री कमलेश ने बताया कि कल ई-मित्र संचालक हेमराज ने मुझे दिनांक 10.03.2026 को पैसे देने हेतु कहा तो मैने 10000 रूपये उसके मोबाईल नम्बर पर फोन पे कर दिये थे क्योंकि उसको 10000 रूपये फोन पे नही करता तो वो तहसीलदार साहब से दुबारा मुलाकात नही करवाता। इस प्रकार मैने ई-मित्र संचालक को 5000 दिनांक 07.03.2026 को एवं 10000 रूपये दिनांक 10.03.2026 को कुल 15000 रूपये फोन कर दिये हैं। जिसके स्क्रीन शॉट की कॉपी आपको पेश कर रहा हूं। परिवादी ने बताया कि आज ई-मित्र वाले का फोन आया तो तहसीलदार जी के 12000 रूपये व 40000 रूपये का ए.सी. एवं जमीन रहन होने से 10000 रूपये, 10000 रूपये हनुमानजी पंजीयन बाबु के, 15000 रूपये स्वयम् व पटवारी के खर्चे के मिलाकर करीब 87000 रूपये बता रहा था। जिस पर मैने कम करने की कहने पर उसने कहा देख लेंगे। मैं उसको ए.सी. के 30000 रूपये बताउंगा तथा मैने उसको 15000 रूपये फोन पे कर दिये तथा मैं उसको 60000 रूपये लेने के लिए तैयार कर लूंगा। उपस्थित दोनो गवाहान का परिवादी से आपस में परिचय करवाते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09, 10.03.2026 के मुख्य अंश सुनाये। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। दिनांक 09, 10.03.2026 को परिवादी श्री कमलेश एवं आरोपी श्री हेमराज ई-मित्र संचालक व श्री गणेश कच्छावा तहसीलदार के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की तथा उक्त वार्ता का दो पेन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मेमोरी कार्ड को एक कपड़े की थेली में रखकर कपडे की थेली को सील्ड कर मार्क "एम" अंकित किया तथा एक पेन ड्राईव को कपड़े की थेली मे रखकर कपड़े की थेली को सील्ड मोहर कर मार्क "पी" अंकित कर फर्द एवं कपड़े की थेलीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव खुला रखा गया। परिवादी एवं गवाहान को रूखसत किया। दिनांक 12.03.2026 समय 09.30 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी उपस्थित आये, जिनके समक्ष परिवादी श्री कमलेश को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 60000 रूपये पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा अपने पास से 500-500 रूपये के 120 नोट कुल राशि 60000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट में अंकित करवाये जाकर श्री जगदीश सहायक प्रशासनिक अधिकारी को बुलाकर टेबल पर अखबार बिछाकर कार्यालय अलमारी में से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया तथा दृष्टांत देकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की उपयोगिता को समझाया। फिनोल्फ्थलीन पाउडर

लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पेाजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल करके या अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत लेन-देन होने का इशारा करने हेतु समझाया गया तथा ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी उक्त ईशारा समझाया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद रावत, श्री तारू सिंह रावत एवं एसीबी स्टॉफ श्री युवराज सिंह सउनि, श्री मनफूल कानि0 एवं आमदा एसीबी एस. यू. अजमेर से श्री दामोदर कानि0, एसीबी, अजमेर से श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री राजुराम कानि0 एवं परिवादी व श्री हुकमाराम कानि0 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो नीओ मय चालक कानि0 श्री मनीष एवं दो प्राईवेट वाहनो के रवाना होकर तहसील कार्यालय अण्टाली के कुछ पहले पहुंचे परिवादी को वॉयस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया तथा उसके द्वारा मंगवायी गई स्कूटी से परिवादी को रवाना किया तथा पीछे-पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान रवाना हुई। परिवादी ने जरिये वाट्स-एप कॉल बताया कि तहसीलदार अभी तहसील में मौजूद नही है वो गुलाबपुरा ही है अभी नही आये हैं। इस पर परिवादी वापस खेजडी मोड़, गुलाबपुरा रोड़ आया तथा रिकार्डर प्राप्त कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गुलाबपुरा पहंची तथा परिवादी भी पहुंचा। परिवादी श्री कमलेश ने मुझे बताया कि तहसीलदार बोलरो से अण्टाली जा रहा है। समय 04.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय अण्टाली के कुछ पहले पहुंचे। परिवादी श्री कमलेश को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर स्कूटी से ई-मित्र की दुकान के लिए रवाना किया तथा पीछे-पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री हुकमाराम कानि0, श्री मनफूल कानि0, श्री राजुराम कानि0 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हमराहीयान रवाना हुई तथा श्री युवराज सिंह सउनि, श्री दामोदर कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को तहसीलदार एवं पंजीयन बाबू श्री हनुमान को डिटेन करने हेतु आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। समय 04.34 पीएम पर परिवादी श्री कमलेश ने साहू कम्प्यूटर ई-मित्र दुकान से बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि लेन-देन का इशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री हुकमाराम कानि0, श्री मनफूल कानि0, श्री राजुराम कानि0 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को हमराह लेकर गेट पर खडे परिवादी श्री कमलेश के पास पहंची तथा परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया तथा परिवादी ने बताया कि मैं ई-मित्र में जाकर श्री हेमराज खटीक से मिला और उसको कहा कि कितने हुए तो उसने कहा कि 40 हजार रूपये फिर मैने कहा कि 30 हजार रूपये ए.सी. के। इस पर हेमराज खटीक ने कहा कि 60000 रूपये दे दो और ए.सी. का जो बिल आयेगा, उस हिसाब से कम ज्यादा हो जायेगा और इस दौरान मैने हेमराज खटीक को कहा कि ए. सी. के 30 हजार, 12000 तहसीलदार जी, 10000 रहन के, 10000 रूपये हनुमान जी के 2500 चालान व ई-मित्र संचालक सहित कुल 75000 रूपये हो गये उसमे से 15000 मैने पहले दे दिये अब मेरा काम नही रूकना चाहिए। उसने रिश्वत राशि 60000 रूपये लेकर अपने सामने रखी टेबल की बीच की दराज में रख ली। उसके बाद मैने बाहर आपको सिर पर हाथ फेर कर ईशारा कर दिया। इस पर परिवादी को साथ लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ई-मित्र की दुकान में प्रवेश किया तो बांये तरफ एक लकड़ी की टेबल के सामने कुर्सी पर सफेद शर्ट एवं क्रीम कलर की पेंट पहने हुए व्यक्ति की और ईशारा कर परिवादी ने बताया यही हेमराज खटीक है, जिसने अभी मेरे से तहसीलदार जी एवं पंजीयन बाबु हनुमानजी एवं पटवारी के लिए 60000 रूपये लिये। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उक्त व्यक्ति को परिचय पूछा तो अपना नाम श्री हेमराज खटीक होना बताया। आरोपी श्री हेमराज खटीक को रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो कहा कि इनके डॉक्यूमेट के लिये है। हमारे लिये, लिये हैं। तहसीलदार साहब चैक करेंगे। तो पूछा कि उनके भी लिये है तो कहां जी मेम। इस पर आरोपी हेमराज खटीक के मोबाईल नम्बर से तहसीलदार श्री गणेश कच्छावा के मोबाईल नम्बर ! पर वार्ता करवायी तो आरोपी हेमराज खटीक ने तहसीलदार श्री गणेश कच्छावा को कहा कि "सर वो पेमेंट आ गया उनका" तो तहसीलदार श्री गणेश कच्छावा कहते है "हां, हां घुमते हुए इधर आ जाना।" इसी दौरान परिवादी ने कहा कि इसने हनुमानजी के लिए भी रिश्वत प्राप्त की हैं। इस पर आरोपी हेमराज खटीक के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री हनुमान सहाय मीना वरिष्ठ सहायक पंजीयन शाखा, तहसील अण्टाली के मोबाईल नम्बर पर वार्ता करवायी तो आरोपी हेमराज खटीक ने कहा "लीज डीड साईन हो गयी सर" इस पर हनुमान कहता है कि "हॉ। फिर हेमराज कहता है कि "वो सर आ गया उनका पेमेंट तो" इस पर हनुमान वरिष्ठ सहायक कहता है कि "मैं देखू देखा साईन हुई के नही हुई हैं।" उक्त दोनो वार्ताओ को वॉयस रिकार्डर मे लगे मेमेारी कार्ड में रिकार्ड किया गया। इसी दौरान श्री युवराज सिंह सउनि, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री दामोदर कानि0 को आरोपीगण श्री गणेश कच्छावा एवं श्री हनुमान सहाय मीना को डिटेन करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात् श्री हेमराज खटीक से पूछा कि रिश्वत राशि कहां है तो श्री हेमराज खटीक ने अपने सामने रखी टेबल की बीच की दराज से 500-500 रूपये की गड्डी निकाली, जो स्वतन्त्र गवाह श्री तारू सिंह रावत को दिलवाकर गिनवायी गई तो 500 रूपये के 120 नोट कुल 60000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त रिश्वत राशि श्री तारू सिंह रावत के पास सुरक्षित रखवायी गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री हेमराज खटीक को हमराह लेकर श्री राजूराम कानि0 को ई-मित्र पर छोड़कर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी मय हमराहीयान के तहसील में स्थित तहसीलदार कक्ष में प्रवेश किया तो श्री युवराज सिंह सउनि, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 एवं श्री दामोदर कानि0 श्री गणेश कच्छावा एवं श्री हनुमान सहाय मीना के साथ उपस्थित मिले। मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त

दोनो को अपना परिचय देकर परिचय प्राप्त किया तो एक व्यक्ति ने अपना नाम गणेश कच्छावा तहसीलदार एवं उप पंजीयक, अण्टाली, जिला भीलवाड़ा होना बताया एवं दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री हनुमान सहाय मीना वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप पंजीयक, अण्टाली, जिला भीलवाड़ा होना बताया। श्री गणेश कच्छावा तहसीलदार को परिवादी से रिश्वत मांगने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैने अभी कोई पैसे नही लिये है आप मुझे चैक कर लो। इस पर अभी फोन पर हुई वार्ता के संबंध में कहा तो कहा कि मैने कोई रिश्वत नही मांगी। मैने यह कहा कि अभी आकर बैठा ही हूं। मैने पेमेंट के बारे में कुछ नही कहा। श्री हनुमान सहाय मीना से रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो कहा कि मैने तो हेमराज खटीक से डॉक्यूमेंट के बारे में ही बात की थी रिश्वत के बारे में कोई वार्ता नही की हैं। इस पर उक्त दोनो आरोपीगण के समक्ष आरोपी श्री हेमराज खटीक से पूछा कि आपने किसके लिए रिश्वत ली है तो हेमराज खटीक ने कहा कि तहसीलदार साहब के लिये, हनुमानजी के लिये। इस पर मौके पर उपस्थित दोनो आरोपीगण ने कुछ नही बोला और चुप हो गये। इसके बाद तहसील परिसर में से साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के साफ पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर आरोपी श्री हेमराज खटीक ई-मित्र संचालक के दांहिने हाथ व बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को अलग-अलग गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दाहिने हाथ के घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क आरएच-1, आरएच-2 एवं बांये हाथ के धोवण को दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् श्री हेमराज खटीक के ई-मित्र पर पहुंच, उपरोक्तानुसार सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उसमे आरोपी द्वारा अपनी टेबल की दराज में, जहां रिश्वत राशि रखी थी उस स्थान को एक रूई के फोहे से रगरड़वाकर उसको डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् तहसील कार्यालय पहुंचकर ई-मित्र संचालक की टेबल की दराज के धोवण की दोनो कांच की शीशीयो को सिलचिट कराये जाकर मार्क डी-1, डी-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गवाह श्री तारू सिंह रावत के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि 60000 रूपये को दोनो गवाहान से नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने 500-500 रूपये के 120 नोट होकर फर्द से मिलान कर हूबहू होना बताया। उक्त रिश्वत राशि 60000 रूपये को एक कागज के सफेद लिफाफे मे रखकर लिफाफे को सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एन अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। तत्पश्चात ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री कमलेश एवं आरोपी श्री हेमराज खटीक ई-मित्र संचालक के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। आरोपी श्री हनुमान सहाय मीना से पुनः पूछा कि हेमराज से फोन पर हुई वार्ता के दौरान हेमराज ने आप को कहा कि लीज डीड साईन हो गयी सर, वो सर आ गया, उनका पेमेंट तो आपने कहा देखू देखा साईन हुई के नी हुई। इस पर आरोपी हनुमान सहाय मीना ने कहा कि मैंने पेंमेट के बारे में नही सुना मैने तो कागजो के बारे मे ही सुना था इसलिए कहा था। श्री हनुमान सहाय मीना को कहा कि हेमराज खटीक ने आपकी मांग अनुसार परिवादी से 10000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है उसके बाद आपको फोन पर लीज पर साईन होने के बारे पूछा एवं पेंमेंट प्राप्त होना बताया हैं। इस पर आरोपी हनुमान सहाय मीना चुप हो गया कुछ नही बोला। श्री गणेश कच्छावा से रिश्वत के बारे में पूछा तो कहा कि यह परसो मेरे पास आया था तथा कागजो के संबंध में बात की तो मैने कहा था कि तेरा काम नही रोकेगे तुरन्त कर देंगे। मैने इससे रिश्वत की मांग नही की थी। श्री हनुमान सहाय मीना वरिष्ठ सहायक एवं श्री गणेश कच्छावा तहसीलदार को दिनांक 9 एव 10.03.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं आज ट्रेप कार्यवाही के दौरान फोन पर हुई वार्ता के मुख्य अंश सुनाकर उक्त वार्ता के संबंध में पूछा तो दोनो चुप हो गये तथा कोई उत्तर नही दिया। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी। आरोपीगण की पृथक-पृथक तलाशी लिवायी गई। आरोपी श्री गणेश कच्छावा तहसीलदार से परिवादी की कम्पनी पपीता वाला एग्रो की लीज डीड से संबन्धित दस्तावेजो के बारे मे पूछा तो बताया कि कमलेश की कम्पनी से संबन्धित दस्तावेज मेरी टेबल पर रखे है, जो अभी श्री हनुमान मीना वरिष्ठ सहायक हस्ताक्षर करने हेतु लाये हैं। उक्त समस्त दस्तावेजो की फोटो प्रति करवायी जाकर प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल दस्तावेज श्री दिनेश कुमार कुमावत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसील, अण्टाली, जिला भीलवाड़ा मोबाईल नम्बर को सुपुर्द कर परिवादी के दस्तावेजो पर अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु निर्देशित किया गया। तीनो आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान एसीबी स्टॉफ, मय स्वतन्त्र गवाहान, मय तीनो आरोपीगण, मय परिवादी, जब्तशुदा आर्टिकल के तहसील कार्यालय अण्टाली से अजमेर से रवाना होकर आरोपीगण का जेएलएनएच, अजमेर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर की हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर कार्यालय हाजा पहंची। जब्तशुदा आर्टिकल को कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को रूखसत किया गया। दिनांक 13.03.2026 समय 09.00 ए.एम. पर दिनांक 12.03.2026 मे परिवादी श्री कमलेश व आरोपी श्री हेमराज खटीक, ई-मित्र संचालक के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं श्री हेमराज खटीक ई-मित्र संचालक व

आरोपीगण श्री गणेश कच्छावा तहसीलदार व श्री हनुमान सहाय मीना वरिष्ठ सहायक के मध्य मोबाईल पर करवायी गई वार्ता, जो वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की तथा उक्त वार्ता के दो पेन ड्राईव तैयार किये गये। एक पेन ड्राईव को कपड़े की थेली मे डालकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क पी-1 अंकित किया तथा एक पेन ड्राईव कागज के लिफाफे मे खुला रखा। मूल मेमोरी कार्ड को वॉयस रिकार्डर में से निकालकर उसको एक कपड़े की थेली में रखकर कपडे की थेली को सील्ड कर मार्क "एम-1 " अंकित किया जाकर फर्द एवं कपड़े की थेली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। विडियो रिकार्डिंग के मूल मेमोरी कार्ड से एक पेन ड्राईव तैयार किया तथा मूल मेमोरी कार्ड को एक कपड़े की थेली में रखकर कपडे की थेली को सील्ड कर मार्क "एमवी " अंकित किया जाकर फर्द एवं कपड़े की थेली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। जब्तशुदा आर्टिकल मालखाना में सुरक्षित जमा करवाया। फर्द नमूना एवं नाशानी सील मुर्तिब की। परिवादी श्री कमलेश व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय से रूखसत किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस एवं श्री हुकमाराम कानि0 का धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी श्री कमलेश की रजिस्टर्ड फर्म पपीतावाला एग्रो एलएलपी उदयपुर द्वारा श्री हरिशंकर पुत्र श्री मांगीलाल ग्राम जवानपुरा तहसील अंटाली जिला भीलवाड़ा की ग्राम जवानपुरा तहसील अंटाली जिला भीलवाड़ा मे स्थित खसरा संख्या 194 की लीज पर ली गई 2.04 हैक्टेयर जमीन की, लीज डीड रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09, 10.03.2026 को श्री गणेश कच्छावा तहसीलदार द्वारा एक ए.सी. एवं रिश्वत की मांग कर आरोपी श्री हेमराज खटीक को देने हेतु सहमत होना और श्री हेमराज खटीक द्वारा परिवादी से दिनांक 07.03.2026 को 5000 रूपये एवं दिनांक 10.03.2026 को 10000 रूपये जरिये फोन पे प्राप्त करना तथा दिनांक 12.03.2026 को दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री हेमराज खटीक द्वारा परिवादी कमलेश से 60000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी दराज में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। इसी दौराने आरोपी श्री हेमराज खटीक की आरोपी श्री गणेश कच्छावा तहसीलदार एवं श्री हनुमान सहाय मीना, वरिष्ठ सहायक से वार्ता करवाने पर तहसीलदार श्री गणेश कच्छावा को हेमराज द्वारा परिवादी का पेमेंट आने की कहने पर "हां, हां घुमते हुए इधर आ जाना कहकर सहमति देना। इसी प्रकार आरोपी श्री हेमराज खटीक ई-मित्र संचालक द्वारा श्री हनुमान सहाय मीना, वरिष्ठ सहायक को लीज डीड साईन होने के संबंध में पूछता है तो वो हां भरता है। इस पर श्री हेमराज खटीक परिवादी का पेमेंट आने की कहता है तो श्री हनुमान सहाय मीना कहता है देखता हूं साईन हुये या नही। फोन पर करवायी गई उक्त वार्ता के बाद एसीबी टीम के तहसील पहुंचने से पहले ही हनुमान वरिष्ठ सहायक तहसीलदार के कक्ष में प्रवेश कर परिवादी के दस्तावेजो पर साईन करवाने हेतु तहसीलदार की टेबल पर रखता हैं। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 09.03.2026 को पंजीयन हुए दस्तावेजो का पेमेंट आने की कन्फ्रमेशन होने के बाद ही श्री हनुमान सहाय मीना परिवादी के पंजीयन संबन्धित दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाये के लिए तहसीलदार के कक्ष में जाता है और एसीबी टीम के पहुंचने पर उसके कक्ष में मौजूद मिलता हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी श्री गणेश कच्छावा, तहसीलदार, श्री हनुमान सहाय मीना एवं श्री हेमराज खटीक ई-मित्र संचालक द्वारा आपस मे मिलीभगत कर परिवादी की फर्म का लीज डीड को रजिस्टर्ड करने की एवज में श्री हेमराज खटीक ई-मित्र संचालक द्वारा परिवादी श्री कमलेश से 15000 रूपये जरिये फोन पे प्राप्त करना एवं दौराने रिश्वत राशि लेन-देन 60000 रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री हेमराज खटीक ई-मित्र संचालक के मार्फत प्राप्त करना, जो रिश्वत राशि हेमराज खटीक के टेबल की दराज से बरामद होना एवं आरोपी के हाथो एवं टेबल की दराज का धोवण हल्का होना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का घटित करना पाया जाता है। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। ( कंचन भाटी ) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टै0,अजमेर..... कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टै0, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण (1) श्री हनुमान सहाय मीना पुत्र श्री शंकर लाल मीना उम्र 34 साल निवासी गांव बीरासना, पुलिस थाना आन्धी, जिला जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप पंजीयक, अण्टाली, जिला भीलवाड़ा (2) श्री गणेश कच्छावा पुत्र श्री सांवरा उम्र 49 साल जाति दरोगा, निवासी 12मील, सराना, पुलिस थाना सराना, जिला अजमेर हाल तहसीलदार एवं उप पंजीयक, अण्टाली, जिला भीलवाड़ा एवं (3) श्री हेमराज खटीक पुत्र कैलाश चंद उम्र 25 साल निवासी अण्टाली, पुलिस थाना शंभुगढ़, जिला भीलवाड़ा हाल साहू कम्प्यूटर ई-मित्र संचालक अण्टाली, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपत सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 656 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 489-93 दिनांक 15.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर 3- जिला कलक्टर, भीलवाडा 4- पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टै0, अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** NARPAT SINGH CHARAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/03/2026 14:24:20

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** Pushpendra Singh Rathore

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1992 | | | | |
| 2 | Male | 1977 | | | | |
| 3 | Male | 2001 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)**